



पत्रांक : 4011/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/


दिनांक 30-05-2013

कार्यालय ज्ञाप

श्री विशम्भर सिंह (92121), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नकुड के दिनांक 05.08.2011 से वर्तमान तक की अपनी तैनाती अवधि में विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण में लापरवाही बरतने, राजस्व वसूली के सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी एवं सार्थक कार्यवाही न किये जाने, राजस्व बकाये में अपेक्षित सुधार न होने, बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान न किये जाने, मनमाने ढंग से कार्य किये जाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरते जाने आदि जैसे गम्भीर कदाचरण का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।

मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ कि उपरोक्त कदाचरण हेतु श्री विशम्भर सिंह (92121), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नकुड के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। अतः मैं विजय विश्वास पन्त, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ सक्षम प्राधिकारी होने के नाते श्री विशम्भर सिंह (92121), अधिशासी अभियन्ता को एतद्वारा अग्रतर जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

निलम्बन की अवधि में श्री विशम्भर सिंह (92121), अधिशासी अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर से सम्बद्ध रहेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा।



विजय विश्वास पन्त
प्रबन्ध निदेशक

श्री विशम्भर सिंह (92121),
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड, नकुड,
जनपद-सहारनपुर।

पत्रांक : 4011/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 30-05-2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, (डी०पी०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सहारनपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि एक प्रति श्री विशम्भर सिंह (92121), अधिशासी अभियन्ता को हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर प्राप्त कर निगम मुख्यालय को प्रेषित करें।
6. संयुक्त सचिव (अ०प्र०-०१), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (अधि०प्र०-०२अ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अनु सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (अनु०का०) के निजी सचिव।
11. सम्बन्धित अधिकारी।


(एस०के० गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर